



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2009/ज्येष्ठ 12, 1931

No. 323]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2009/JYAISTHA 12, 1931

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2009

सा.का.नि. 380(अ).—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 11 के उप-नियम (1क) में,

(i) खण्ड (ग) में, “आठ हजार रुपये प्रतिमास” शब्दों के लिए “1 सितम्बर, 2008 से पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास” शब्द रखे जाएंगे।

(ii) खण्ड (घ) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा :—

“स्पष्टीकरण:—इस खंड के प्रयोजन के लिए, यदि सदस्यों को चालक द्वारा चलाए जाने वाले सरकारी यान प्रदान नहीं किया जाता है या यदि सदस्य वाहन भत्ते के

स्थान पर भाड़े के यान का विकल्प नहीं देते हैं, तो सदस्यों को दस हजार रुपये प्रतिमास की दर से यान भत्ते और एक सौ पचास लीटर पेट्रोल की कीमत का भुगतान किया जाएगा।”

[फा. सं. 1(2)/2002-सी पी यू]

संजय सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 398(अ), तारीख 15 अप्रैल, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधित किए गए :—

1. सा.का.नि 533(अ) तारीख 14-8-1991
2. सा.का.नि 800(अ) तारीख 30-12-1993
3. सा.का.नि 522(अ) तारीख 22-6-1994
4. सा.का.नि 605(अ) तारीख 30-8-1995
5. सा.का.नि 759(अ) तारीख 21-11-1995
6. सा.का.नि 95(अ) तारीख 27-2-1997
7. सा.का.नि 88(अ) तारीख 24-2-1998
8. सा.का.नि 175(अ) तारीख 5-3-2004
9. सा.का.नि 50(अ) तारीख 1-2-2005
10. सा.का.नि 64(अ) तारीख 10-2-2005
11. सा.का.नि 67(अ) तारीख 11-2-2005
12. सा.का.नि 273(अ) तारीख 5-5-2006
13. सा.का.नि 462(अ) तारीख 4-8-2006 और
14. सा.का.नि 637(अ) तारीख 13-10-2006

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD
AND PUBLIC DISTRIBUTION**

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2009

G.S.R. 380(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Consumer Protection Rules, 1987, namely:—

(1) Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Consumer Protection (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-rule (1A) of rule 11 of the Consumer Protection Rules, 1987,—

- (i) in clause (c), for the words “eight thousand rupees per month”, the words “twenty five thousand rupees per month with effect from 1st September, 2008” shall be substituted;
- (ii) after clause (d), the following explanation shall be inserted, namely:—

“Explanation:— For the purpose of this clause, if the members are not provided with chauffeur driven government vehicle or if the members do not opt for hired vehicle in lieu of

conveyance allowance, the members shall be paid conveyance allowance per month at the rate of ten thousand rupees and the cost of one hundred fifty litres of petrol.”

[F. No. 1 (2)/2002-CPU]

SANJAY SINGH, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number GSR 398 (E), dated 15th April, 1987 and subsequently amended *vide* notification numbers:—

1. GSR 533 (E) dated 14-8-1991,
2. GSR 800 (E) dated 30-12-1993,
3. GSR 522 (E) dated 22-6-1994,
4. GSR 605 (E) dated 30-8-1995,
5. GSR 759 (E) dated 21-11-1995,
6. GSR 95 (E) dated 27-2-1997,
7. GSR 88 (E) dated 24-2-1998,
8. GSR 175 (E) dated 5-3-2004,
9. GSR 50 (E) dated 1-2-2005,
10. GSR 64 (E) dated 10-2-2005,
11. GSR 67 (E) dated 11-2-2005,
12. GSR 273 (E) dated 5-5-2006,
13. GSR 462 (E) dated 4-8-2006 and
14. GSR 637(E) dated 13-10-2006.